छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 40/2007

श्याम सुन्दर अग्रवाल

बनाम

जवाहर प्रसाद एवं दो अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04-02-2008 हेतु सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख,
न्यायमूर्ति

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

विविध अपील (सामान्य) क्रमांक 40/2007

अपीलार्थी (स्वामी)	:	श्याम सुंदर अग्रवाल, आयु 40 वर्ष, आत्मज श्री रूपचंद अग्रवाल, प्रोपराइटर- विष्णु शैलाक फैक्ट्री, सक्ती, जिला- जांजगीर-चांपा (छ०ग०)

बनाम

प्रत्यर्थी (दावाकर्ता)	:	1. जवाहर प्रसाद, आत्मज श्री बुलथुराम यादव, आयु लगभग 28 वर्ष, साकिन- नवापारा खुर्द, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०)
बीमाकर्ता		2. शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नगरीय शाखा कार्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा (छ०ग०)
		3. विष्णु लाख फैक्ट्री, सक्ती, प्रोपराइटर- विष्णु अग्रवाल, आयु लगभग 50 वर्ष, विष्णु पेट्रोल पंप के पास, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विविध अपील अंतर्गत धारा 30, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम

उपस्थित : श्री संजय के० अग्रवाल सहित श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्तागण, अपीलार्थी/स्वामी हेतु।

श्री एच०बी० अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावाकर्ता हेतु।

श्री अभिषेक सिन्हा सहित श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थी क्रमांक 2/बीमा कंपनी हेतु।

तामील उपरांत भी प्रत्यर्थी क्रमांक 3 हेतु कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय
(4 फरवरी, 2008 को पारित)

नियोजक द्वारा दायर इस अपील में, जो आयुक्त न्यायालय, कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय, बिलासपुर (एतस्मिनपश्चात "अधीनस्थ न्यायालय") द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 24-11-2006 से व्यथित है, में विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्न अवधारण हेतु उद्भूत होते हैं:-

(i) "क्या आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन उस स्थिति में प्रतिकर प्रदान किया जाना न्यायसंगत था, जबकि कर्मकार को हुई विकलांगता की प्रकृति तथा सीमा को सिद्ध करने हेतु कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया?"

(ii) "क्या आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर द्वारा बीमा कंपनी को इस आधार पर उन्मोचित करना उचित था कि दुर्घटना उस समय हुई थी जब लाख की लदाई या उतराई की प्रक्रिया रुकी हुई थी?"

(iii) "क्या आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के धारा 4क की उपधारा (3) के उप-खंड (ख) के अंतर्गत नियोजक को कारण बताओ नोटिस देकर उचित अवसर प्रदान किए बिना शास्ति देना न्यायोचित था?"

(2) इस अपील में, निम्नलिखित तथ्य, अविवादित है :

(क) दिनांक 12-02-2001 को प्रातः लगभग 8 बजे, जवाहर प्रसाद अपीलार्थी/नियोजक के सक्ती स्थित लाख कारखाने में कर्मकार के रूप में कार्यरत था।

(ख) दिनांक 12-02-2001 को प्रातः लगभग 8 बजे, जवाहर प्रसाद बॉयलर के समीप स्थित "चेली" (जो कि बांस एवं रस्सियों की सहायता से बनाया

गया एक अस्थायी कार्य-प्लेटफार्म था) को हटाने हेतु ऊपर चढ़ा और उसी दौरान वह नीचे गिर गया।

(ग) प्रत्यर्थी क्रमांक 2/बीमा कंपनी द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (एतस्मिनपश्चात "अधिनियम, 1923") के अधीन एक सामान्य बीमा पॉलिसी दिनांक 19-01-2001 (प्रदर्श डी-5) जारी किया गया था, जो दिनांक 18-01-2002 तक वैध था।

(3) प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावाकर्ता, जवाहर प्रसाद, द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकर का दावा करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी/नियोजक के निर्देश पर वह बॉयलर के पास चेली हटाने के लिए चढ़ा, उसी दौरान वह नीचे गिर गया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह शरीर के बाएं हिस्से में "हेमिपैरेसिस" (आधा शरीर लकवाग्रस्त) तथा 100% स्थायी विकलांगता से ग्रस्त हो गया। घटना दिनांक को उसकी आयु 27 वर्ष थी। यह भी अभिकथन किया कि उसे अपीलार्थी/नियोजक द्वारा रोज़ाना ₹72/- की मजदूरी पर नियोजित किया गया था। इस आधार पर ₹2,39,881/- की प्रतिकर राशि ब्याज सहित तथा शास्ति का दावा किया गया। दावाकर्ता द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-4) प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हुआ है तथा वह 50% विकलांग हो गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) अपीलार्थी/नियोजक द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि वह लाख कारखाने का स्वामी है और यह कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावाकर्ता को दिनांक 12.02.2001 को चेली से गिरने के कारण चोटें आई थीं। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि दावाकर्ता 100% स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है। यह अभिवचन किया गया कि दावाकर्ता पुनः कार्यग्रहण हेतु सक्षम है। यह भी अभिवचन किया कि प्रतिकर के संदाय का सम्पूर्ण दायित्व प्रत्यर्थी क्रमांक 2/बीमा कंपनी पर है।

(5) प्रत्यर्थी क्रमांक 2/बीमाकर्ता द्वारा यह अभिकथन करते हुए प्रतिकर का संदाय के दायित्व से इनकार किया कि दुर्घटना के समय लाख का निर्माण कार्य बंद था तथा दावाकर्ता द्वारा दुर्घटना के समय किया जा रहा कार्य बीमा पॉलिसी के अधीन आच्छादित नहीं था।

(6) श्री सौरभ शर्मा, विद्वान अधिवक्ता हेतु अपीलार्थी/नियोजक के द्वारा निम्नलिखित तीन प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए गए हैं :-

(क) चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में, जिससे दावाकर्ता के विकलांगता की प्रकृति और सीमा सिद्ध हो सके, आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर द्वारा यह अभिनिर्धारित करना कि दावाकर्ता 50% स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है, तथा अधिनियम, 1923 की धारा 4(1)(ख) एवं (ग) के अधीन प्रतिकर के संदाय हेतु आदेश पारित करना, न्यायोचित नहीं था। इस संबंध में **नारायण चक्रबोर्ती बनाम स्वपन देबनाथ एवं एक अन्य** जो कि 2007 एलएबी० आई०सी० 1087 में प्रकाशित है, **दिनेश चंद्र राय बनाम असम राज्य** जो कि 2000 एलएबी० आई०सी० 3811 में प्रकाशित है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **मेसर्स बुढ़वाल शुगर मिल्स लि० बनाम रामजान** जो कि 1982 एलएबी० आई०सी० 84 में प्रकाशित है, एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के **बंगाल कोल कं० लि० गिरिमिंट कोलियरी बनाम सेव पूजन हरिजन** जो कि 1983 एलएबी० आई०सी० 1285 में प्रकाशित है, के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

(ख) द्वितीय, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि दिनांक 12-02-2001 को जब प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावाकर्ता अपीलार्थी के अधीन कार्यरत था, उस समय नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा उसे वैयक्तिक क्षतियाँ पहुंची। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी अविवादित है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2/बीमाकर्ता द्वारा प्रदर्श डी-5 बीमा पॉलिसी के माध्यम से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी/नियोजक के जोखिम को अधिनियम, 1923 के अधीन आच्छादित किया था, अतः प्रतिकर के संदाय का दायित्व बीमा कंपनी पर निर्धारित किया जाना चाहिए था।

(ग) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/स्वामी को यह उचित अवसर प्रदान किए बिना कि वह यह प्रमाणित कर सके कि उस पर शास्ति क्यों न लगाया जाए, अधिनियम, 1923 की धारा 4क के उपखंड (3) के प्रावधान के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय न्यायोचित नहीं था।

(7) प्रत्यर्थी क्रमांक 2/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित श्री अभिषेक सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि बीमा पॉलिसी (प्रदर्श डी-5) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जोखिम केवल लाख के लदाई एवं उतराई की प्रक्रिया के दौरान कर्मकार को पहुंची वैयक्तिक क्षति तक सीमित रूप से आच्छादित था, और चूंकि यह तथ्य अविवादित है कि दुर्घटना के समय लाख का निर्माण कार्य बंद हो चुका था, बीमा कंपनी अपीलार्थी/नियोजक को क्षतिपूर्ति प्रदान हेतु किसी संविदात्मक दायित्व के अधीन नहीं था। अतः, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी को उन्मोचित किया जाना न्यायोचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावाकर्ता की ओर से श्री एच०बी० अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि यह निष्कर्ष कि दावाकर्ता को नियोजन से और उसके अनुक्रम में कारित क्षति, तथ्यात्मक निष्कर्ष है, जिसे इस अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है, विशेषतः तब जब यह अपील केवल विधि के उन सारवान प्रश्न पर विचारण हेतु स्वीकार की गई है जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह भी तर्क किया गया कि अपीलार्थी/नियोजक द्वारा चिकित्सक मंडल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-4) को चुनौती नहीं दिया गया है, जबकि उस प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि दावाकर्ता को हेमिपैरेसिस के कारण 50% स्थायी विकलांगता हुई है। अपीलार्थी/नियोजक द्वारा प्रदर्श पी-4 के खंडन हेतु चिकित्सकीय साक्ष्य को बुलाने हेतु भी कोई प्रार्थना नहीं की गई है। यह भी तर्क किया गया कि बीमा पॉलिसी (प्रदर्श डी-5) में प्रयुक्त "लाख की लदाई एवं उतराई" शब्दावली मात्र दृष्टांतात्मक है, न कि व्यापक, और बीमा पॉलिसी की शर्तें स्पष्ट

रूप से यह दर्शाती हैं कि बीमा अवधि के दौरान यदि बीमित के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत किसी कर्मकार को, बीमित के नियोजन एवं उसके अनुक्रम में उद्भूत किसी दुर्घटना या व्याधि के कारण वैयक्तिक क्षति कारित होता है, तथा यदि बीमित उस क्षति हेतु विधिक रूप से प्रतिकर के संदाय हेतु उत्तरदायी होता है, तो बीमा कंपनी को बीमित/नियोजक को प्रतिकर के संदाय हेतु क्षतिपूर्ति देना आवश्यक होगा। आगे यह तर्क किया गया कि अतः यह अनिवार्य था कि बीमा कंपनी पर ही क्षतिपूर्ति का दायित्व निर्धारित किया जाता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ति अधिरोपित करना न्यायोचित था, क्योंकि अपीलार्थी/नियोजक को कार्यवाही के दौरान शास्ति हेतु कारण बताओ का समुचित अवसर प्रदान किया गया था एवं यह अनिवार्य नहीं था कि आक्षेपित आदेश पारित होने के पश्चात शास्ति क्यों न अधिरोपित किया जाए हेतु कारण बताओ का नया अवसर प्रदान किया जाता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) इस अपील में यह तथ्य अविवादित है कि जवाहर प्रसाद यादव, जो कि एक कर्मकार था, को अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित हुआ है। अतः इस वाद में प्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में, जिससे कर्मकार द्वारा ग्रसित विकलांगता की प्रकृति और सीमा सिद्ध हो सके, अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वैयक्तिक क्षति के कारण जवाहर प्रसाद यादव को स्थायी विकलांगता और 50% तक आय का नुकसान हुआ, न्यायसंगत था?

(10) अधिनियम, 1923 की धारा 25 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग निर्धारित करती है जो इस प्रकार है :-

> "**25. साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग**- जैसे-जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे-वैसे आयुक्त उस साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन आयुक्त द्वारा अपने हाथ से लिखा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगाः
>
> परन्तु यदि आयुक्त ऐसा ज्ञापन बनाने से निवारित हो जाता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करेगा और

स्वयं बोल कर ऐसा ज्ञापन लिखित रूप में तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगाः

परन्तु यह और कि किसी चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यावत्शक्य शब्दशः लिखा जाएगा।"

"चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यावत्शक्य शब्दशः लिखा जाएगा" इस बात को आज्ञापक बनाता है कि अधीनस्थ न्यायालय को चिकित्सीय साक्ष्य अभिलिखित करना होगा। यह दावाकर्ता पर निर्भर करता है कि वह यह स्थापित करे कि ग्रसित विकलांगता की सीमा अधिनियम, 1923 की अनुसूची 1 के भाग 1 या भाग 2 के अधीन अंतरवर्लित है या नहीं। इसे केवल चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत कर ही सिद्ध किया जा सकता है। इस नियम का एकमात्र अपवाद यही हो सकता है कि दावाकर्ता द्वारा ग्रसित विकलांगता पर नियोजक निर्विवादित रहा हो। एक अन्य दृष्टिकोण से देखें तो, ऐसी स्थिति में जब दावाकर्ता/कर्मकार की स्थायी विकलांगता विवादित हो, तो चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में और नियोजक को साक्ष्य का खंडन करने अथवा चिकित्सीय साक्षी से प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर प्रदान किए बिना यह निष्कर्ष दर्ज करना कि दावाकर्ता/कर्मकार स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। उपरोक्त सिद्धांत को **सुधीर भुइंया बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य** जो कि **2005 ए०सी०जे० 509** में प्रकाशित है, में दिए गए प्रेक्षण से सहमति प्रकट करते हुए इस न्यायालय के युगल पीठ द्वारा **राजेश कुमार कौशिक बनाम तेज नारायण सिंह एवं अन्य** (विविध अपील सामान्य क्र० 818/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2007) में स्वीकार किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

"यदि अपीलार्थी, वास्तव में, किसी चिकित्सक या चिकित्सक मंडल के अभिमत से समर्थन चाहता है, तो बीमा कंपनी और वाहन के मालिक, जिनके विरुद्ध उक्त अभिमत लागू होगा, को उन व्यक्तियों का प्रति परीक्षण करने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि प्रमाण पत्र में निहित उनके अभिमत की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सत्यता का अभिनिश्चिय किया जा सके; यह सुझाव देना असंगत है कि मात्र एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर यह दर्शाया जाए कि व्यक्ति विकलांग हो गया है और इसी आधार पर बीमा कंपनी या वाहन मालिक को प्रतिकर के संदाय हेतु बाध्य किया जाए, जबकि दस्तावेज की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है और वे उस व्यक्ति, जिसने कथित रूप से ऐसा अभिमत दिया है, का प्रति परीक्षण करने की स्थिति में नहीं है।"

(11) वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी/नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से इस तथ्य का खंडन किया गया है कि प्रत्यर्थी/कर्मकार स्थायी रूप से विकलांग हुआ है और आगे यह अभिकथन किया गया है कि चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अनुसार, प्रत्यर्थी पुनः कार्य शुरू करने हेतु सक्षम था। इस परिप्रेक्ष्य में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज दावाकर्ता के 50% स्थायी विकलांगता का निष्कर्ष चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में संधार्य नहीं है। मेरे इस दृष्टिकोण को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दो निर्णय ***नारायण चक्रबोर्ती बनाम स्वपन देबनाथ एवं एक अन्य*** (2007 एलएबी० आई०सी० 1087), ***दिनेश चंद्र राय बनाम असम राज्य एवं अन्य*** (2000 एलएबी० आई०सी० 3811), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ***मेसर्स बुढ़वाल शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम रामजन*** (1982 एलएबी० आई०सी० 84) तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के ***बंगाल कोल कं० लि० गिरिमिंट कोलियरी बनाम सेव पूजन हरिजन*** (1983 एलएबी० आई०सी० 1285) से बल मिलता है।

(12) केरल उच्च न्यायालय द्वारा **डी० वेणु एवं अन्य बनाम सेनन फर्नांडिस एवं अन्य** जो कि **1995 (2) टी०ए०सी० 309** में प्रकाशित है एवं **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अब्दुल गफ़ूर एवं अन्य** जो कि **2004 (सप्ली०) जी०एल०टी० 118** में प्रकाशित है, यह अभिनिर्धारित दृष्टिकोण कि अपीलार्थीगण द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी गयी है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में उनके प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है। अपीलार्थी/नियोजक ने स्थायी विकलांगता के तथ्य का स्पष्ट रूप से खंडन ही नहीं किया बल्कि डॉ० केदार अग्रवाल द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-3 दिनांक 1.4.2002

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रस्तुत कर यह भी दर्शाया है कि दावाकर्ता/कर्मकार कार्य पुनः शुरू करने हेतु सक्षम है। यह भी उल्लेखनीय है कि विकलांगता प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-4 में यह वर्णित नहीं किया गया है कि जवाहर प्रसाद यादव के शरीर के किस ओर हेमीपेरिसिस हुआ है। उक्त प्रमाणपत्र पर चस्पा दावाकर्ता/कर्मकार के छायाचित्र से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष दावाकर्ता के साक्ष्य के दौरान भी उसके द्वारा ग्रसित विकलांगता के संबंध में की गई वैयक्तिक अवलोकन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दावाकर्ता/कर्मकार जवाहर प्रसाद यादव के साक्ष्य में भी यह उल्लेखित नहीं है कि बाएँ अथवा दाएँ, हाथ एवं पैर निष्क्रिय हुआ था। प्रत्यर्थी/दावाकर्ता द्वारा दुर्घटना के बाद किए गए उपचार से संबंधित कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं गया किया है और न ही उपचार करने वाले चिकित्सक का परीक्षण कराया गया है। विकलांगता प्रमाण पत्र दुर्घटना के दस माह से अधिक समय बाद जारी किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, अधीनस्थ न्यायालय पर यह दायित्व था कि वह उभय पक्षकार को विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-4 तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-3 के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता। अतः, यह निष्कर्ष कि दावाकर्ता 50% स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है, विधि के अंतर्गत संधारणीय नहीं है। अतः विधि के सारवान प्रश्न क्र० 1 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

(14) जहाँ तक द्वितीय विचारणीय प्रश्न का संबंध है, इस अपील में यह अविवादित है कि दावाकर्ता को अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित हुआ है। अधिनियम, 1923 के अधीन बीमाकर्ता का दायित्व संविदात्मक होता है, न कि वैधानिक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यू इंडिया असुअरन्स को० लि० बनाम हर्षदभाई अमुतभाई मोढीया एवं अन्य** जो कि **(2006) 5 SCC 192** में प्रकाशित है, में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

> "कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में मोटर वाहन अधिनियम के समतुल्य कोई प्रावधान नहीं है, जो बीमाकर्ता पर मोटर दुर्घटना से उद्भूत तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति हेतु निर्णय से उत्पन्न संपूर्ण दायित्व पूर्ण करने पर जोर देता हो।

न तो अधिनियम और न ही किसी अन्य विधिक प्रावधान में ऐसा कोई प्रतिबंध है जो बीमाकर्ता और बीमित के बीच यह अनुबंध करने से रोकता हो कि बीमा कंपनी के दायित्व को किसी विशेष मद या किसी विशेष राशि तक सीमित कर दिया जाए, जब यह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन उद्भूत किसी तीसरे पक्ष के प्रतिकर के दावा से संबंधित हो। अतः, बीमा कंपनी का दायित्व स्पष्टः सीमित है और ब्याज या शास्ति के दायित्व के अपवर्जन हेतु उपबंधित उपयुक्त परन्तुक को प्रभावी किया गया है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दावाकर्ता का अधिकार केवल नियोजक से प्रतिकर का दावा करने तक सीमित है। जबकि नियोजक और बीमाकर्ता के मध्य अधिकार और दायित्व बीमा अनुबंध के शर्तों पर आधारित होंगे। प्रकरण में निहित अनुबंध के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बीमाकर्ता ने विशेषतः कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन ब्याज या शास्ति हेतु सभी दायित्व का अपवर्जन किया है तथा अपने दायित्व को केवल उस प्रतिकर राशि तक सीमित किया है, जिसका भुगतान कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन आदेशित किया गया हो।”

(15) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यू इंडिया असुअरन्स को० लि० बनाम हर्षदभाई अमृतभाई मोढीया एवं अन्य (पूर्वोक्त)** में पारित निर्णय के आलोक में, यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्यर्थी/बीमाकर्ता तथा अपीलार्थी/नियोजक के मध्य निष्पादित बीमा अनुबंध का उचित व्याख्यान किया जाए। प्रत्यर्थी/बीमाकर्ता की ओर से श्री अभिषेक सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा बीमा कंपनी द्वारा जारी जोखिम ग्रहण पत्र में प्रयुक्त शब्द "लाख की लदाई, उतराई" पर विशेष बल दिया गया है। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि ये शब्द जोखिम ग्रहण पत्र में किसी विशिष्ट मद के अंतर्गत नहीं दर्शाए गए हैं, अतः उन्हें मात्र दृष्टांतात्मक माना जाएगा, न कि व्यापक। इसके अतिरिक्त, बीमा पॉलिसी के प्रकार का उल्लेख “कर्मकार प्रतिकर (सामान्य)” के रूप में किया गया है। बीमा पॉलिसी के नियम व शर्तें पृथक रूप से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संलग्न किए गए हैं। इन शर्तों में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है :-

> “अब यह पॉलिसी यह प्रमाणित करती है कि यदि बीमा अवधि के किसी भी समय बीमित के प्रत्यक्ष सेवा में कोई भी कर्मकार, बीमित के नियोजन से और उसके अनुक्रम में किसी क्रिया या व्याधि से उद्भूत वैयक्तिक क्षति का शिकार होता है और यदि बीमित ऐसे क्षति हेतु किसी भी प्रकार के प्रतिकर का संदाय करने हेतु उत्तरदायी होगा।
>
> तब, यहां समाविष्ट या इस पर अंकित नियमों, अपवादों एवं शर्तों के अधीन, कंपनी बीमित को उन सभी राशि हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा जिनके लिए बीमित उत्तरदायी होगा एवं ऐसे प्रतिकर के किसी भी दावे का बचाव करने में उसकी सहमति से होने वाली सभी व्ययों और खर्चों हेतु उत्तरदायी होगा।”

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः यह स्पष्ट है कि बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी एक सामान्य बीमा पॉलिसी है, जो ऐसे मामलों को आच्छादित करती है जिनमें कर्मकार को बीमित के अधीन नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति पहुँची हो एवं यह पॉलिसी केवल 'लाख के लदाई एवं उतराई' तक सीमित नहीं है। अतः दुर्घटना के समय लाख का निर्माण कार्य बंद हो जाना कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि प्रत्यर्थी/दावाकर्ता को नियोजक के अधीन नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा क्षति कारित हुई है। इस प्रकार, यह निःसंदेह है कि बीमा कंपनी, नियोजक के साथ हुए अनुबंध के अंतर्गत, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन नियोजक द्वारा देय प्रतिकर राशि हेतु क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी है। इस परिप्रेक्ष्य में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज यह निष्कर्ष कि बीमा कंपनी को प्रतिकर के संदाय से उन्मोचित किया जाता है, तदनुसार अपास्त किया जाता है।

(16) जहाँ तक विधि के अंतिम सारवान प्रश्न का संबंध है, अधिनियम, 1923 की धारा 4 क की उपधारा (3) में प्रदत्त परंतुक कोई संदेह नहीं छोड़ता कि उपधारा (3) के अंतर्गत तब तक शास्ति के भुगतान हेतु आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जब तक नियोजक को कारण बताओ का यह यथोचित अवसर नहीं दिया गया हो कि क्यों न ऐसा आदेश पारित किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह शास्ति के भुगतान का आदेश पारित करने से पहले नियोजक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करता। अतः, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/नियोजक के विरुद्ध पारित शास्ति के भुगतान का आदेश भी अपास्त किए जाने योग्य है।

(17) इस न्यायालय द्वारा विधि के सारवान प्रश्नों पर दिए गए निष्कर्षों के आलोक में, यह अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि जवाहर प्रसाद यादव उक्त दुर्घटना के कारणवश 50% स्थायी विकलांगता से ग्रस्त है, अपास्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्णीत किया जाता है कि बीमा कंपनी, अपीलार्थी/नियोजक को उक्त प्रतिकर की क्षतिपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी है जिसका निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/दावाकर्ता द्वारा ग्रसित विकलांगता की प्रकृति के अनुसार पुनः किया जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय, अपीलार्थी/नियोजक, प्रत्यर्थी/दावाकर्ता तथा बीमा कंपनी को यह युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा कि वे दावाकर्ता/कर्मकार द्वारा भुगती गयी क्षति की प्रकृति से संबंधित चिकित्सीय साक्ष्य, मौखिक एवं दस्तावेजी, प्रस्तुत करें, और तत्पश्चात यह निर्धारण करेगा कि प्रत्यर्थी/दावाकर्ता किस प्रकार के विकलांगता, यदि कोई हो, से ग्रस्त है तथा प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी/दावाकर्ता को देय प्रतिकर की राशि क्या होगी। इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ न्यायालय, अपीलार्थी/स्वामी के विरुद्ध शास्ति पारित करने से पूर्व यथोचित सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा।

हस्ताक्षरित
(दिलीप रावसाहेब देशमुख)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Anusha Naik, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur